FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0058 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/03/2026 19:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 28/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:50 बजे **Time To (समय तक):** 10:11 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/03/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/03/2026 19:36:04 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 121 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** HOTAL ASHOKA,KALYAN CIRCLE, KE PASS SIKAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMEEZ RAJA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LAL KAHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SABALPURA, SIKAR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SABALPURA, SIKAR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	UTTAM PANDEY		पिता:JAGDAMBA PRASAD PANDEY	1. SADHAI PANDE KA PURA POAT BABUWAPUR,AYODHYA, महाराजगंज,उत्तर प्रदेश,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		13,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 13,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 30.12.2025 को परिवादी श्री रमीज राजा पुत्र श्री लाल खॉं, उम्र-34 साल निवासी सबलपुरा, तहसील व जिला सीकर ने एसीबी मुख्यालय पर उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस विजयसिंह एसयू द्वितीय के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आषय का प्रस्तुत किया कि "निवेदन है की मै रमीज राजा पुत्र श्री लाल खां निवासी सीकर CA का कार्य करता हूॅ। वर्ष 2022 में महीना याद नहीं है, सायद जनवरी-फरवरी हो सकता है, मेरे साथी CA श्री बबलू चौधरी के यहां जयपुर कार्यालय में श्री राजेन्द्र सुद ने अपनी पत्नी श्रीमती नितू सूद निवासी जोगिन्दर नगर, हिमाचल प्रदेष के नाम से QFX Prt ltd. company बनायी थी, कुछ महिनों बाद CA साथी बबलू चौघरी व मैनंे उक्त कम्पनी Monthy Profit/ Return ज्यादा मिलने के कारण रूपये Invest किये, शुरू कुछ महिनो तक उक्त Company से अच्छा Return प्राप्त हुआ। माह जून 2022 के आस पास Mohd. Shakil नाम का व्यक्ति मेरे कार्यालय में सीकर आया और मुझे पुरा Plan समझाया, जिस पर मैनंे और रूपये Invest किये। कुछ महिनों बाद उक्त कम्पनी अपने कार्यालय बंद कर दिये और राजेन्द्र सुद व उसके साथी गायब हो गये और मेरा उनसे कोई सम्पर्क नहीं हुआ और मेरा करीब 30 लाख रूपये कम्पनी मे हडप हो गये। जानकारी के अनुसार श्री राजेन्द्र सूद की पत्नि जेल में है और वह विदेष भाग गया। Mohd. Shakil का कुछ पता नहीं है। उसके बाद माह फरवरी 2025 के अन्तिम सप्ताह में मेरे Mobile Number पर एक नम्बर से Call आया और बताया मै थाना बल हिमाचल प्रदेष का थानाधिकारी बोल रहा हूॅ और कहा कि आपने QFX में पैसा लगाया है। आपसे कुछ पूछताछ करनी है आपको हिमाचल आना है। मैनें जाने से इंकार किया। उसके बाद उनका कोई Call नहीं आया। जिस नम्बर से Call आया था वह अब मुझे ध्यान नहीं है मेरा उक्त नम्बर चालु नहीं है। दिनांक 04.12.2025 को मेरे मोबाईल नं पर एक नम्बर से Call आया और बताया कि वह लखन कॉन्स्टेबल सीकर SP Office से बोल रहा है और कहा कि आपसे कोई फोटो दिखाकर जानकारी लेनी है, इसलिए आप SP Office आ जाओ, तब मै अगले दिन 5 दिसम्बर को SP Office गया जहां लखन Const.से मिला, तभी एक व्यक्ति मुझे कहा कि आप रमीज राजा हो क्या, एक फोटो दिखाया व पूछा कि इसकेा जानते हो क्या और कहा कि उक्त मो. सकील को SIM Allote हुई उसको Verify आप द्वारा किया गया है और आपके कार्यालय का पता दिया गया है, जिस पर मैने मना किया तो एक Form दिखाकर मुझे मेरे Office ले आये। मेरेOffice में आने पर उस व्यक्ति द्वारा मुझे बताया कि वह ED चण्ढीगढ से आया है और हमारे पास कम्पनी QFX के विरूद्ध प्रकरण की जांच चल रही है। आप इस केस में फसोगे, अभी Summon निकलवाकर उठा ले जाउंगा जमानत भी नहीं हो पायेगी, आपका Office Sease हो जायेगा आपकी SIM बंद करनी पडेगी। इस बात पर मै डर गया और ऐसा नहीं करने को कहा तो उस व्यक्ति जिसने अपना नाम पद नहीं बताया और कहा कि मै आपके Profession का लेहाज रखता हूॅ आपको इसके System में आना पडेगा और अपनी डायरी में 20 लाख रूपये देने हेतु Pen से लिखा, मेरे द्वारा इन्कार करने पर 18 लाख रूपये देने को कहा और दो सप्ताह का समय दिया, फिर उसके कहने पर मैनें उसे Cab किराये पर करके फरीदाबाद छुडवाया। उसके बाद उसके mobil no. व से मेरे नम्बर व पर पिछले 25 दिन मंे दिनांक 08/12/2025, 17/12/25,18/12/25 व 29/12/25 को Whatsap व Normal Call आये जिसकी दूसरे मोबाईल मंे मेरे द्वारा Speakar on कर Video recording कि गयी , जो अब मेरे पास मौजूद है, उक्त व्यक्ति का True Caller पर नाम उत्तम पाण्डे आ रहा है और यह 18 लाख रूपये लेकर मुझे बुला रहा है और जगह बाद में बताना जाहिर किया है। मै उक्त व्यक्ति को जो Enforcement Department E.D. Chandigarh में जांच से नाम हटाने के नाम पर 18 लाख रूपये रिष्वत मांग रहा है , उसे रिष्वत राषि नहीं देना चाहता हूॅ बल्कि रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हू। मेरी इससे केाई पुरानी रंजिष नहीं है और ना हि पुराना कोई उधार लेन देन बकाया है, उक्त व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करे।"
परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि मै सीकर में रहकर CA का कार्य करता हूॅ एवं मैनंें मिलन हॉटल के पास अपना ऑफिस खोल रखा है। वर्ष 2022 में मेरे साथी CA श्री बबलू चौधरी के यहां जयपुर कार्यालय में श्री राजेन्द्र सुद ने अपनी पत्नी के नाम से श्रीमती नितू सूद निवासी जोगिन्दर नगर हिमाचल प्रदेष के नाम से QFX Prt ltd. company बनायी थी, कुछ महिनों बाद CA साथी बबलू चौघरी व मैनंे उक्त कम्पनी Monthy Profit/ Return ज्यादा मिलने के कारण रूपये Investकिये, शुरू कुछ महिनो तक उक्त Company से

अच्छा Return प्राप्त हुआ। माह जून 2022 के आस पास Mohd. Shakil नाम का व्यक्ति मेरे कार्यालय में सीकर आया और मुझे पुरा Plan समझाया जिस पर मैनंे और रूपये Invest किये। कुछ महिनों बाद उक्त कम्पनी ने अपने कार्यालय बंद कर दिये और राजेन्द्र सूद, उसकी पत्नि नीतू सूद व उसके साथी गायब हो गये और मेरा उनसे कोई सम्पर्क नहीं हुआ और मेरा करीब 30 लाख रूपये कम्पनी मे हडप हो गये। जानकारी के अनुसार श्री राजेन्द्र सूद की पत्नि जेल में है और वह विदेष भाग गया। Mohd. Shakil का कुछ पता नहीं है। दिनांक 04.12.2025 को मेरे मोबाईल नं पर एक नम्बर से Call आया ओर बताया कि वह लखन कॉन्स्टेबल सीकर Sp Office से बोल रहा है और कहा कि आपसे कोई फोटो दिखाकर जानकारी लेनी है, इसलिए आप Sp Office आ जाओ तब मै अगले दिन 5 दिसम्बर को Sp Office गया जहां लखन Const से मिला तभी एक व्यक्ति मुझे कहा कि आप रमीज राजा हो क्या एक फोटो दिखाया व पूछा कि इसके ा जानते हो क्या और कहा कि उक्त मो. सकील को SIM Allote हुई उसको Verify आप द्वारा किया गया है और आपके कार्यालय का पता दिया गया है जिस पर मैने मना किया तो एक Form दिखाकर मुझे मेरेOffice ले आये। मेरे Office में आने पर उस व्यक्ति द्वारा मुझे बताया कि वह E.D. चण्ढीगढ से आया हुं और हमारे पास कम्पनी QFX के विरूद्ध प्रकरण की जांच चल रही है। आप इस केस में फसोगे अभी Summon निकलवाकर उठा ले जाउंगा, जमानत भी नहीं हो पायेगी, आपका Office sease हो जायेगा, आपकी Sim बंद करनी पडेगी। इस बात पर मै डर गया और ऐसा नहीं करने को कहा तो उस व्यक्ति जिसने अपना नाम पद नहीं बताया और कहा कि मै आपके Profession का लेहाज रखता हूॅ आपको इसके लिये System में आना पडेगा और अपनी डायरी में 20 लाख रूपये देने हेतु Pen से लिखा, मेरे द्वारा इन्कार करने पर 18 लाख देने को कहा और दो सप्ताह का समय दिया फिर उसके कहने पर मैनें उसे Cab किराये पर करके फरीदाबाद छुडवाया। उसके बाद उसके mobil no. से मेरे नम्बर पिछले 25 दिन मंे दिनांक 08/12/2025,17/12/25,18/12/25 व 29/12/25 को Whatsap व Normal Call आये जिसकी दूसरे मोबाईल मंे मेरे द्वारा Speaker on कर Video Recording की गयी, जो अब मेरे पास मौजूद है, उक्त व्यक्ति का True caller पर नाम उत्तम पाण्डे आ रहा है और यह 18 लाख रूपये लेकर मुझे बुला रहा है और जगह बाद में बताना जाहिर किया है। मै उक्त व्यक्ति को जो Enforcement Department E.D. Chandigarh में जांच से नाम हटाने के नाम पर 18 लाख रूपये रिष्वत मांग रहा है तथा मेरे से पूर्व में भी उक्त उत्तम पाण्डेय द्वारा 02 लाख रूपये प्राप्त किये गये है। परिवादी श्री रमीज राजा ने बताया कि जब भी श्री उत्तम पाण्डे (True Caller के अनुसार) का रिष्वत लेने के सम्बंध में फोन आयेगा, तो मै आपको तुरन्त सूचित कर दुंगा। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रमीज राजा को एसओ श्री उत्तम पाण्डे (True Caller के अनुसार) के मोबाईल पर भविष्य में होने वाली वाट्सअप कॉल को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी का कॉल आने पर अविलम्ब अवगत कराने के निर्देष दिये गये। प्राप्त प्रार्थना पत्र और परिवादी से की गई मजीद दरयाफ्त से प्राथमिक तौर पर प्रकट होता है कि संदिग्ध आरोपी श्री उत्तम पाण्डे, प्रवर्तन निदेषालय, चंडीगढ द्वारा परिवादी श्री रमीज राजा से प्रवर्तन निदेषालय में लम्बित जॉच में अभियुक्त नहीं बनाने के नाम पर 20 लाख रूपये रिष्वत राषि की मांग की जा रही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरयाफ्त से श्री उत्तम पाण्डे, प्रवर्तन निदेषालय, चंडीगढ द्वारा परिवादी श्री रमीज राजा से रिष्वत मांग का मामला पाया जाने से नियमानुसार रिष्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी, परिवादी को हिदायत की गई कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिष्वत मांग के सम्बंध में वार्ता करने पर अवगत करावे, परिवादी को रूखसत किया गया। तत्पष्चात दिनांक 02.01.2026 समय 12ः36 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री रमीज राजा ने अपने मोबाईल नम्बर से वाट्सअप कॉल कर बताया कि संदिग्ध अधिकारी का मेरे पास अभी तक कॉल नही आया है, कॉल आने पर आपको अवगत करवा दूंगा, जिसे गोपनीयता के संबंध में आवष्यक हिदायत मुनासिब दी गई। दिनांक 04.01.2026 समय 07ः57 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री रमीज राजा के मोबाईल नम्बर से वाट्सअप कॉल आया और बताया कि आज संदिग्ध अधिकारी श्री उत्तम पाण्डेय का मेरे इस नम्बर पर कॉल आया था। मै कल आपके ऑफिस आकर आपको अवगत कराउंगा। दिनांक 05.01.2026/ समय 01.40 पी.एम. पर परिवादी श्री रमीज राजा व उसके रिस्तेदार तैय्यब अली उपस्थित ब्यूरो कार्यालय जयपुर आये व बताया कि कल दिनांक 04.01.2026 को संदिग्ध अधिकारी श्री उत्तम पाण्डेय का मेरे उक्त नम्बर पर वाट्सअप कॉल आया था और मुझे रिष्वत राषि लेकर चडीगढ बुला रहा है। इस पर समय 02ः15 पी.एम. पर परिवादी से उसके मोबाईल नम्बर से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल करवाया गया तो संदिग्ध अधिकारी द्वारा कहा गया कि मै बाद में कॉल करता हूॅ। काफी देर तक इंतजार किया गया लेकिन संदिग्ध अधिकारी का परिवादी के पास वापिस कॉल नहीं आया। जिस पर समय 03ः00 पी. एम. पर परिवादी व उसके रिस्तेदार को आवष्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 06.01.2026/ समय 03.53 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री रमीज राजा के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि दिनांक 05.01.2026 को रात के समय 09ः24 पीएम पर श्री उत्तम पाण्डे के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर वा्ससअप मिस्डकॉल

आया था। जिस पर मैनंें उससे वापस कॉल किया तो संदिग्ध अधिकारी ने कहा कि आप फी्र हो क्या, जिस पर मैनें कहा कि मै हॉस्पीटल हुॅ। तब संदिग्ध अधिकारी ने कहा कि कल सुबह 09-10 बजे मेरे से बात करना। जिस पर मैनें आज समय 09ः35 ए.एम पर मेरे मोबाईल नम्बर से श्री उत्तम पाण्डे के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल किया तो उन्होेने मुझे कहा कि आप समय निकालकर दिल्ली आ जाओ। जिस पर मेरे द्वारा पापा की तबीयत खराब होने के बारे में बताकर रिक्वेस्ट की गई। जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने मुझे बताया कि आपके खाते में ऑन लाईन ट्रांजेषन हुआ है तथा उपयोग में ली जा रही सिम को बंद करने की बात कही , इसके अलावा मुझे अपने ऑफिस या दिल्ली भी बुला रहा है। मेरे द्वारा एफआईआर के बारे में पूछने पर उसने बात को टालते हुये दिल्ली आने को कहा। उक्त वार्ता को मैनें अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर अपने दूसरे मोबाईल में विडियों रिकॉर्ड की है जो मेरे दुसरे मोबाईल में सुरक्षित है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को उक्त वाट्सअप कॉल वार्ता की विडियो रिकॉर्डिग को अपने मोबाईल में सुरक्षित रखने तथा दुबारा श्री उत्तम पाण्डे का फोन आये तो सूचित करे कि हिदायत मुनासिब कि गई। उक्त विडियों वार्ता को परिवादी द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप प्रेषित की गई, जिसे सुना गया तो परिवादी की बात की पुष्टि होती है। दिनांक 15.01.2026/ समय 11.04 पी.एम.पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री रमीज राजा ने अपने मोबाईल नम्बर से कॉल कर बताया कि आज दिनांक को समय 10ः28 ए.एम. पर श्री उत्तम पाण्डे ने अपने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल कर मुझे कहा कि अब डिले मत करो, कुछ सैटअप करो, आप आये नहीं, जिस पर मेरे द्वारा पापा की तबीयत खराब होने की बात कही गई। जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने मुझे कहा कि 10 तो आप अठारह तक ही कर रहे थे, पन्द्रह तारीख तक मिलना है। जिस पर मेरे द्वारा कहा गया कि मै चाह के भी नहीं आ सकता हूॅ। इसके बाद संदिग्ध अधिकारी ने कहा कि आप इसमें एक्यूज्ड हो और कहा कि इस एफआईआर में सूद की पत्नि अन्दर है और दो अन्य आदमी भी मिल गये। इसके अलावा मेरे द्वारा कम्पनी में किये गये इन्वेस्ट भी बात कही, जिस पर उन्होने कहा कि आपको सिम भी बंद करनी पडेगी, वैरिफिकेषन रिपोर्ट मै ही तैयार कर भेजुगा। मैनंे कहा की आगे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आयेगी, जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने कहा कि इसमें हम तीन आदमी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आयेगी। उक्त वार्ता को मैनें अपने फोन का स्पीकर ऑन कर अपने दूसरे फोन सेें विडियों रिकॉर्ड की है जो मेरे दुसरे मोबाईल में सुरक्षित है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को उक्त वाट्सअप कॉल वार्ता की विडियो रिकॉर्डिग को अपने मोबाईल में सुरक्षित रखने तथा दुबारा श्री उत्तम पाण्डे का फोन आये तो अविलम्ब एसीबी कार्यालय आने कि हिदायत मुनासिब कि गई। उक्त विडियों वार्ता को परिवादी द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप प्रेषित की गई, जिसे सुना गया तो परिवादी की बताई बातो की पुष्टि होती है। दिनांक 20.01.2026/ समय 10.14 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री रमीज राजा के मोबाईल नम्बर से वाट्सअप पर विडियों रिकॉर्डिग प्राप्त हुई जिसको सुना गया और समय 1ः33 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने उक्त नम्बर से परिवादी के उक्त नम्बर पर कॉल किया गया तो बताया कि संदिग्ध अधिकारी ने आज अपने नम्बर से मेरे उक्त नम्बर पर वाट्सअप कॉल कर बताया कि क्या विचार है, बताया नहीं आने का, जिस पर मैनंे स्वयं के बिमार होने की बात कही, जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने बताया कि अब उपर से प्रेसर आ रहा है, फिर आप चाहो तो मै आपकी बाद में मदद नहीं कर पाउंगा, इस मामले में बाद में बचने के कोई चांस नहीं रह जायेगे। आप दिल्ली व रेवाडी आ जाओ जिस पर मैनें जयपुर आने का कहा तो कहा कि मै जयपुर आने का बताता हूॅ। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को उक्त वाट्सअप कॉल वार्ता की विडियो रिकॉर्डिग को अपने मोबाईल में सुरक्षित रखने तथा दुबारा श्री उत्तम पाण्डे का फोन आये तो सूचित करे कि हिदायत मुनासिब कि गई। दिनांक 03.02.2026/ समय 11.31 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री रमीज राजा ने अपने मोबाईल नम्बर से कॉल कर बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री उत्तम पाण्डेय से वाट्सअप पर वार्ता हुई है जिसमें उसने भिवानी आने का कहा है और मेरे मना करने पर नाराजगी जाहिर करते हुये बाद में बात करना बताया। परिवादी ने बताया कि श्री उत्तम पाण्डेय से आज जो भी बात होगी मै आपको उसकी विडियांे रिकॉर्डिग करके भेज दुगा। इस सम्बंध में परिवादी को रिकॉर्डिग सुरक्षित रखने बाबत आवष्यक हिदायत दी गई। इसके बाद समय 09ः22 पी.एम पर श्री रमीज राजा द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर हुई वाट्सअप कॉल वार्ता की विडियो रिकॉर्डिग मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप पर प्रेषित की गई, जिसे सुना गया तो उक्त वार्ता में परिवादी के पिता की बिमारी के वार्ता करते हुये संदिग्ध अधिकारी द्वारा कहा गया कि एक्चुअली मेरे उपर भी प्रेसर आ रहा है, जब कोई कमीटमेंट हो जाती है और वो पूरी नहीं होती है तो अगला ये समझने लगता है कि, कोई मै अकेला तो हूॅै नहीं उसमें, फिर मेरे को तो आ गया गुस्सा कि खत्म करो ये, फिर बोले कि बात क्या हुई तो मैनें कहा सर कुछ प्रोब्लम है, तो बोला कि यार ये भी तो माना जा सकता है कि प्रोब्लम उसकी सही में हो, लेकिन आप तो हमें प्रेसर कर रहे हो ना हर तीसरे दिन आप बोल रहे हो मेरे को क्या करना है क्या करना है। अब गाडी आप मुझे प्रोवाईड करावोगे, मै आपके उधर ही आ जाता हूॅ। दिनांक 09.02.2026/ समय 12.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रमीज राजा के मोबाईल नम्बर पर कॉल

किया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी का देहान्त दिनांक 05.02.2026 को हो गया है। इस कारण मै अभी व्यस्त हूॅ, जैसी भी कोई बात होगी मै आपको बता दुगा। दिनांक 26.02.2026/ समय 09.28 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी श्री रमीज राजा के मोबाईल नम्बर से वाट्सअप पर विडियों रिकॉर्डिग प्राप्त हुई जिसको सुना गया तो संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर परिवादी की हुई वार्ता में संदिग्ध अधिकारी द्वारा कहा गया कि मै सटरडे को अर्ली मोर्निग 4-5 बजे सीकर आउंगा, जहां बताउंगा वही मिलना है, मै कैब करके फ्राइडे की रात को यहां से निकलुगा, बाकी जैसा होगा मै बताउंगा। इसके बाद समय 09ः57 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल किया गया तो आज प्राप्त विडियों रिकॉर्डिग से परिवादी द्वारा बताई गई बातो की पुष्टि होती है। परिवादी को उक्त पूर्व की सभी विडियांे रिकॉर्डिग लेकर कल दिनांक 27.02.2026 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत की गई। दिनांक 27.02.2026/ समय 09.20 ए.एम. पर परिवादी श्री रमीज राजा व श्री तैय्यब अली उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये एवं मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 26.02.2026 समय 09ः19 ए. एम. पर श्री उत्तम पाण्डे का अपने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर मिस्डकॉल आया। जिस पर मैनंे कॉल बैक किया तो श्री उत्तम पाण्डे ने सटरडे को मोर्निग में सुबह 4-5 बजे सीकर आने के लिये कहा है। जिस पर मन् उप पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मंे पदस्थापित श्री पिन्टु हैड कानि. 34 को अपने कक्ष में बुलाया जाकर कक्ष में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री रमीज राजा का आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय मंे उपस्थित पिन्टु मीणा हैड कानि से कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी का एक डिजिटल वाईस रिकार्डर एवं नया एसडी कार्ड निकलवाकर रिकॉर्डर में DAICHI 32 GB कम्पनी का माईक्रो एसडी कार्ड डालकर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं माईकाे्रे एसडी कार्ड को खाली होना सुनिष्चित कर परिवादी श्री रमीज राजा को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई। तत्पष्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने समय 09ः34 ए.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध श्री उत्तम पाण्डे के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप कॉल, उसके मोबाईल का स्पीकर ऑन कर परिवादी की वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध द्वारा सटरडे मोर्निग में 6-7 बजे तक सीकर आने तथा रिष्वत के 20 लाख रूपये की बात होना बताया और फोन काट दिया। उक्त वाट्सअप कॉल वार्ता को कार्यालय की डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में हैड कानि पिन्टु मीणा से रिकॉर्ड करवाया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने समय 09ः38 ए.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध श्री उत्तम पाण्डे के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल, मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध द्वारा परिवादी को कहा गया कि मै फोन पर बहुत ज्यादा बात करना नहीं चाहता, मैने जो आपको बोल दिया था वो ही बात क्लीयर है, अब आप सोच लो क्या करना है और कल आकर, मिलकर बताने की बात कही गई। उक्त वाट्सअप कॉल वार्ता को कार्यालय की डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में हैड कानि पिन्टु मीणा से रिकॉर्ड करवाया गया। थोडी देर बाद समय 10ः08 ए.एम. पर संदिग्ध श्री उत्तम पाण्डे के मोबाईल नम्बर से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल आया, जिस पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर परिवादी द्वारा वार्ता की गई जिसमें संदिग्ध अधिकारी ने कहा कि मै आपकी इतनी मदद अभी ओर कर सकता हूॅ, मेरी बात सुन लो ध्यान से आप, दो हो गया है, तेरहा आज हो और जो एक पार्ट बचेगा वो मै अपने स्तर पर आप कहेगे एक महिना दो महिना, वो मै कर सकता हूॅ बाकी और लोगो के लिये मै कुछ कर नहीं पा रहा हूॅ, और मुझे फाईनल बताईये, मै आउं या नहीं आउं, मै इतनी सारी कमीटमेंट करके झुठा साबित हो रहा हूॅ, दो आप ने कर दिया, तेरहा आप कर दिजिये, बहर हाल मै आ रहा हूॅ, आउगां मै दिखाउंगा डॉक्यूमेंट, आप हल्के में ले रहे हो आदि, उक्त वाट्सअप कॉल वार्ता को कार्यालय की डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में हैड कानि पिन्टु मीणा से रिकॉर्ड करवाया गया। रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा जाकर लॉक किया गया। परिवादी की षिकायत एवं पूर्व में प्राप्त पांच वाट्सअप विडियों रिकॉर्डिग को सुनने पर तथा आज कराई गई तीन वाट्सअप कॉल वार्ताऐ, जिन्हे कार्यालय के डिजिटल रिकॉर्डर में लगे मैमोरी काड/एसडी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया। अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री रमीज राजा CA का कार्य करता है। परिवादी द्वारा QFX Prt Ltd. Company में किये गये निवेष के बाद उक्त कम्पनी के Abscond होने पर उक्त कम्पनी के विरूद्ध Enforcement Department E.D. Chandigarh में चल रही जांच के दौरान परिवादी को अभियुक्त नहीं बनानेे की ऐवज में संदिग्ध अधिकारी श्री उत्तम पाण्डेय द्वारा स्वयं एवं अन्य अधिकारी के लिये परिवादी से 20 लाख रूपये की रिष्वत की मांग करना, परिवादी द्वारा कम करने की आग्रह करने पर 15 लाख रूपये रिष्वत लेने के लिये सहमत होने, पूर्व में 02 लाख रूपये प्राप्त करने एवं अब 13 लाख रूपये रिष्वत की मांग करने की पुष्टि हुई है। अब तक की कार्यवाही से रिष्वत मांग का सत्यापन पूर्ण हो चुका है, चुकि संदिग्घ अधिकारी श्री उत्तम पाण्डेय द्वारा आज हुई मोबाईल वाट्सअप वार्ताओ में कल दिनंाक 28.02.2026 को सीकर आना बताया गया है। अतः ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही आरम्भ किया जाना आवष्यक होने पर स्वतन्त्र गवाह श्री विक्रम सैन पुत्र श्री श्रवण सैन, जाति सैन, उम्र 32 साल, निवासी- गांव रूडंल, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल सफाई कर्मचारी, कार्यालय नगर निगम हैरिटेज, जयपुर एवं श्री यादराम पुत्र श्री पूरणमल, जाति गुर्जर, उम्र 26 साल, निवासी- रामनगर, जामडौली, तहसील रैणी, जिला लवर हाल सफाई कर्मचारी, कार्यालय नगर निगम हैरिटेज, जयपुर को तलब किया गया और उपस्थित आने पर, उक्त मामले की जानकारी दी गई।

प्रकरण के परिवादी श्री रमीज राजा एवं श्री तैयब अली के साथ कार्यालय में उपस्थित है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित गवाह श्री विक्रम सैन, सफाई कर्मचारी एवं श्री यादराम गुर्जर सफाई कर्मचारी का परिचय परिवादी श्री रमीज राजा से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान ने पढकर, समझकर व कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना-पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ को दिनांक 28.02.2026 समय 02ः00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने के निर्देष दिये जाकर रूखसत किया गया। दिनांक 28.02.2026 को नियत समय पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान विक्रम सैन, श्री यादराम गुर्जर व ब्यूरो स्टाफ के कार्यालय में उपस्थित होने पर 2ः20 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रमीज राजा द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री उत्तम पाण्डेय, मोबाईल नम्बर Enforcement Department E.D. Chandigarh को रिष्वत में दिये जाने वाली रिष्वती राषि 500-500 रूपये के कुल 400 नोट की 04 गड्डियां कुल 2,00,000/- रूपये (जो भारतीय चलन मुद्रा के) निकाल कर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश कर बताया कि मेरे से अभी इतने ही रूपयों की व्यवस्था हो पाई तथा शेष 11 लाख रूपयों के लिये मैं जयपुर से ही डमी मुद्रा के 500-500 के नोटों की व्यवस्था कर लेकर आया हूं। तत्पश्चात् परिवादी ने उपरोक्त गवाहान के समक्ष 500-500 के डमी मुद्रा नोट (भारतीय मनोरंजन बैंक तथा अंग्रेजी में FULL OF FUN लिखा हुआ) 22 गड्डियां कुल 11,00,000/-डमी मुद्रा रूपये जो नीले रंग की प्लास्टिक में रखे हुये प्रस्तुत किये, जिस पर भारतीय चलन मुद्रा के 2 लाख रूप्ये के नोटों का विवरण अंकित किया गया, इसके अलावा पांच पांच सौ रूपयो के 100-100 नोटो की 22 गडियां कुल 11 लाख रूपयो के भारतीय मनोरंजन बैक केे डमी नोट है। इसके बाद कार्यालय कर्मचारी श्री राम कानि नम्बर 295 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोटो एवं डमी राषि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया एवं एक नीले रंग की प्लास्टिक की थैली व काले रंग के बैग के उपर भी अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया और समस्त नोटों को कानि0 श्री राम 295 से उक्त प्लास्टिक की थैली मे ंरखवाये गये, परिवादी द्वारा पेष एक काले रंग के छोटे शोल्डर बैग जिस पर अंग्रेजी ALLINCE लिखा हुआ है, की तलाशी भी गवाह श्री विक्रम सैन से लिवायी गयी तो बैग में कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही पाई गई। उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों एवं डमी नोटो को फिनोफ्थलीन युक्त ब्ल्यू रंग की थैली को काले रंग के बैग में श्री राम कानिं नम्बर 295 से रखवाया गया। तत्पश्चात् कानि0 श्री राम 295 से फिनॉफ्थलीन पावडर युक्त राशि के काले रंग के बैग को कार्यालय परिसर में खडी परिवादी के साथी तैय्यब अली की कार सं0 RJ 14 QC 8643 में रखवाई जाकर परिवादी को सुपुर्द की गई। उसके बाद परिवादी श्री रमीज राजा की जामा तलाशी गवाह श्री विक्रम सैन से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन एवं गाडी की चाबी के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी तथा कानि. श्री राम 295 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी। उसके पश्चात श्री गजानन्द, उ.नि. से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें टेªप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीषी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पष्चात उक्त घोल में श्री राम कानि नम्बर 295 की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दांहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी श्री रमीज राजा व स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त थैली एवं पॉउडर लगे नोटांे को छुयेगा तो उसके हाथांे में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये धोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध ने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है । इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी धोल को श्री राम कानि. 295 से बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रमीज राजा को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल नं.
पर अपने मोबाइल से मिस कॉल या कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करंे तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिष्वत राषि देने के पहले व पष्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवष्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। परिवादी को यह भी हिदायत की गई कि वह ध्यान रखे कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे ले रहा है और वह गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिष्वत राषि को कहां पर रखता है। तत्पश्चात श्री राम कानि. के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टैªप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये गये तथा टैªपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी

के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। मन उप अधीक्षक पुलिस के पास कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकालकर श्री पिन्टु मीणा हैड कानि 34 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि जब परिवादी संदिग्धो को रिश्वत राशि देने जाये, तब रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी को सुपुर्द करे। परिवादी श्री रमीज राजा को हिदायत दी गई कि रिष्वत राषि लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। इस सम्बन्ध में फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व द्ष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पष्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समय 03ः50 ए.एम. पर श्री गजानन्द उ.नि., श्री केषर सिंह एएसआई, श्री राजकुमार एएसआई, श्री रामप्रसाद हैड कानि 37, श्री रूपकिषोर कानि. 74, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री महेष कानि 193 श्रीमती शर्मिला देवी म.कानि. नं. 96 मय स्वतंत्र गवाहान श्री यादराम गुर्जर, श्री विक्रम सैन मय टेªप बाक्स मय सरकारी लेपटॉप व प्रिन्टर, उपकरण मय सरकारी मिनी बस चालक बिरजूराम को हिदायत मुनासिब कर सीकर रवाना किया गया एवं इसी समय मन उप अधीक्षक पुलिस विजय सिंह मय परिवादी रमीज राजा व तैय्यब अली, पिन्टु मीणा हैड कानि, परिवादी के रिस्तेदार तैय्यब अली की कार से सीकर रवाना हुये। नोटों पर फिनोफ्थलीन पावउर लगाने वाले कर्मचारी श्री राम कानि 295 को कार्यालय में छोडा गया। समय 06ः00 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान एवं 06ः25 ए.एम. पर श्री गजानन्द उ नि मय हमराहीयान सीकर रेल्वे स्टेषन पहंुचकर मुकिम हुये। समय 07ः35 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस विजय सिंह, परिवादी रमीज राजा व तैय्यब अली मय हमराहीयान के रेल्वे स्टेषन सीकर से रवाना होकर पास ही स्थित हॉटल रॉयल इन पहुंचकर मुकिम हुये एवं संदिग्ध अधिकारी के कॉल आने का इंतजार किया। तत्पष्चात समय 9ः40 एएम पर परिवादी श्री रमीज राजा के मोबाईल नम्बर पर संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बर से वाट्सअप कॉल आया एवं परिवादी से कहां कि मै रेल्वे स्टेषन सीकर के पास स्थित होटल अषोका में आ गया हूॅ, आप जल्दी यहां आ जाओ। इस पर समय 9.43 एएम पर परिवादी श्री रमीज राजा को हिदायत दी गई कि वह 13 लाख रूप्ये की रिष्वत राषि से भरा बैग संभालकर लेकर जाये और संदिग्ध अधिकारी को रिष्वत प्रदान करने के उपरान्त गोपनीय ईषारा करे तथा श्री पिन्टु मीणा हैड कानि से सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु करवा कर परिवादी को सुपुर्द किया जाकर संदिग्ध अधिकारी के पास होटल अषोका रिष्वत राषि देने हेतु परिवादी की उसकी कार नंबर आरजे 23 सीडी 4578 से होटल अषोका कल्याण सर्किल के पास रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहीयान के होटल अषोका के सामने एवं आस पास पहुंच कर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईषारे के इन्तजार में मुकीम हुए। समय 9.47 एएम पर परिवादी रमीज राजा अपनी कार को होटल अषोका के सामने खडी कर होटल के अन्दर गया। समय करीब 10ः11 एएम पर परिवादी श्री रमीज राजा के साथ एक व्यक्ति जिसने काली रंग की पेन्ट , सफेद रंग की शर्ट, भगवा रंग की हाफ सलीव्ज जैकिट व चस्मा लगाये हुये उक्त हॉटल से बाहर आये व परिवादी की कार कीया के पास आये और परिवादी द्वारा अपनी कार से काले रंग के छोटे शोल्डर बैग को निकालकर उक्त व्यक्ति को सुपुर्द किया। इसके बाद उक्त व्यक्ति पुनः हॉटल अषोका के अन्दर जाने लगा, तभी ही परिवादी ने पूर्व निर्धारित ईषारा किया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिय मय स्वतंत्र गवाहान एवं टीम के तुरन्त ही हॉटल अषोका के आगे बनी सिढीयां के पास पहुंचे। जहां उक्त व्यक्ति हॉटल अषोका के मुख्य गेट के आगे बनी सिढीयां पर काले रंग बैग को अपने हाथ में लेकर खडा था। उक्त व्यक्ति ने हमरा टीम को आते देखकर काले रंग के बैग को हॉटल अषोका की मंन्दिर वाली गैलेरी की तरफ अपने से 5 फिट की दुरी पर फर्ष पर फेक दिया। कानि विरेन्द्र नम्बर 212 के द्वारा कार्यालय कैमरा मय मैमोरी कार्ड ऑन कर कार्यवाही की वीडियों रिकॉर्डिग शुरू की गई। परिवादी श्री रमीज राजा से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसको बंद कर अपने कब्जे में लिया। इसके बाद परिवादी ने अपने सामने खडे भगवा रंग की जैकेट पहने व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि इन्होने ने अभी अभी मेरे से पूर्व में रिष्वत के रूप में मांगे 13 लाख रूपये रखे हुये काले रंग का बैग अपने हाथो से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त व्यक्ति के दांहिने हाथ को हमरा कानि. श्री महेष नम्बर 193 से बांया हाथ एवं हैड कानि श्री रामप्रसाद नम्बर 37 से दांहिना हाथ कलाई के उपर से पकडवाया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप टीम सदस्यों का परिचय देकर उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री उत्तम पाण्डेय पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय, जन्म तिथि 01.03.1976 निवासी-ग्राम सधई पाण्डेय का पुरा, पोस्ट बबुवापुर पुलिस थाना महाराज गंज, तहसील व जिला अयोध्या (उत्तर प्रदेष) हाल सीनियर सिपाही CD ZO-1 कार्यालय सहायक निदेषक प्रवर्तन निदेषालय, चंडीगढ। मूल पदस्थापन हैड कानि. CRPF BT. 92 एसीजीओ कॉमप्लेक्स नई दिल्ली बताया। इस पर आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय से परिवादी श्री रमीज राजा से रिश्वत राषि प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैने इनसे कोई रिष्वत राषि नहीं ली है। जिस पर परिवादी ने आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय की उक्त बातो का खण्डन करते हुये बताया कि श्री उत्तम पाण्डेय को मैनेे रिष्वत राषि देने के लिये कॉल किया तो इन्होने मुझे हॉटल अषोका पर बुलाया था। मै हॉटल अषोका के प्रथम तल पर बने रेस्टोरेन्ट पर पहुंचा तो ये वहां पर नास्ता कर रहे थे। इनके साथ अन्य दो व्यक्ति ओर थंे। जहां पर श्री उत्तम पाण्डेय मुझे रेस्टोरेन्ट में ही दुसरी टेबल के पास लेकर गये। जहां पर श्री उत्तम पाण्डेय ने अपनी डायरी में दो लिखकर मुझे बताया कि दो तो आपने पहले दे दिये और आज कितने दे रहे हो। जिस पर मैनें कहां तेरहा लाख रूपये दे रहा हूॅ। जिस पर इन्होने ने कहा

शेष 5 लाख आप एक दो तीन महिने में दे देना। जिस पर मैनें इनसे कहा था कि अपनी बात हुई थी कल की। जिस पर इन्होने बताया कि आपने पहले दिये और आज दिये जिसमें से मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचेगा। ये तो उपर अधिकारियों के पास जायेगा। मेरे पास तो ये 05 लाख रूपये दोगे वही आयेगा। इसके बाद श्री उत्तम पाण्डेय ने मुझे अपना ऑफिस, सिम बंद करने को कहा। इसके बाद श्री उत्तम पाण्डेय को तसल्ली देकर रिष्वत राषि प्राप्त करने के सम्बंध में पुनः पूछा गया तो बताया कि QFX Prt. Company कम्पनी के विरूद्ध E.D. Chandigarh में चल रहे जांच, जिसमें मोहम्मद सकील नाम का व्यक्ति आरोपी है। जिसका सम्मन सहायक निदेषक, प्रवर्तन निदेषालय, चडीगढ श्री अत्तुल गुप्ता के द्वारा जारी किया गया था, कि तामील करवाने हेतु मै पूर्व में सीकर आया था। यहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से संगम हॉटल के आस पास दिये गये पते पर जानकारी लिया तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहां नहीं रहता है जिसके बारे में अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट पेष की गई। जिस पर अधिकारियों द्वारा बताया कि श्री मोहम्मद सकील का सिम गारन्टर श्री रमीज राजा है। जिनका मोबाईल नम्बर भी मुझे दिया गया था। जिसके लिये मै चंडीगढ से ही किराये की कैब लेकर आज आया हूॅ और साथ में अपने परिचित श्री बलराम यादव, जो कि कम्पनी में प्राईवेट नौकरी करता है, वो भी साथ आया है। मैनें श्री रमीज राजा से कोई रिष्वत की मांग नहीं की गइ है, ना ही इनके विरूद्ध कोई ईडी में जांच चल रही है। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम सैन से रिष्वत राषि का काले रंग का बैग को उठवाया जाकर अपने पास ही सुरक्षित रखने की हिदायत मुनासिब दी गई। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि के लिये संदिग्ध अधिकारी श्री उत्तम पाण्डेय को हॉटल अषोका के अन्दर रिसेप्षन एरिया में ले जाकर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया, तभी सरकारी वाहन बस के चालक को कॉल कर हॉटल अषोका पर बुलाया गया। उपस्थित जाप्ते से बस में रखे ट्रेप उपकरण/बॉक्स मंगवाया जाकर अषोका हॉटल के अन्दर मय टीम संदिग्ध अधिकारी,परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के प्रवेष कर रिसेप्षन एरिया में बैठ कर श्री गजानन्द उ.नि से ट्रेप बॉक्स एवं साफ पानी की एक बोतल मंगवाई जाकर साफ कांच के दो गिलासों में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गधमेला हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय द्वारा परिवादी श्री रमीज राजा से रिष्वत राषि का बैग प्राप्त कर हॉटल अषोका के मन्दिर की गैलेरी में सिढीयां के पास ही फर्ष पर फेक दिया गया था, उक्त बरामद स्थल का एक रूई के पोहे से रगडा जाकर उक्त स्थान के धोवन हेतु ट्रेप बॉक्स एवं साफ पानी की एक बोतल मंगवाई जाकर साफ कांच के दो गिलासों में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। उक्त घोल में रूई के फोव्वे डूबोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क G-1 व G-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के उक्त फोव्वे जिसकी मदद से उपरोक्त स्थान का धोवन लिया गया उस फोव्वे को माचिस की डिब्बी में रखकर, डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सील मोहर कर मार्क R अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात गवाह श्री विक्रम सैन के पास पूर्व से सुरक्षित रखा रिष्वत राषि का काले रंग का बैग जिसको गवाह श्री विक्रम सैन से चैक करवाया गया तो उक्त काले रंग का बैग जिस पर अग्रेजी में ALLINCE लिखा हुआ है, उक्त बैग को खोलकर चैक करवाया गया तो बैग के अन्दर एक नीले रंग की प्लास्टिक की थैली जिसके अन्दर नोटो की गड्डियां मिली। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से पूर्व से तैयार फर्द पेषकषी रिश्वत राशि से करवाया गया तो 500-500 रूपये के कुल 400 नोट की 04 गड्डियां कुल 2,00,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 500-500 के डमी मुद्रा नोट भारतीय मनोरंजन बैंक जिन पर अंग्रेजी में FULL OF FUN लिखा हुआ, 22 गड्डियां कुल 11,00,000/-पूर्व से बनी पेषकषी रिश्वत राशि से मिलान करवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के नम्बर हुबहू होना बताया। उक्त बरामदषुद रिष्वत राषि 500-500 रूपये के कुल 400 नोट की 04 गड्डियां कुल 2,00,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा को एक सफेद कागज की चिट लगाकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया तथा 500-500 के डमी मुद्रा नोट भारतीय मनोरंजन बैंक तथा अंग्रेजी में FULL OF FUN लिखा हुआ 22 गड्डियां कुल 11,00,000 रूपये को एक पारदर्षी सफेद प्लास्टिक की पॉलोथीन में रख कर शील्डमोहर किया गया। तत्पष्चात काले रंग का बैग जिसके अन्दर ब्ल्यू रंग की प्लास्टिक की थैली जिससें रिष्वत राषि बरामद हुई थी, उक्त ब्ल्यू रंग की प्लास्टिक की थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर काले रंग के बैग जिस पर अंग्रेजी ALLINCE लिखा हुआ है, के अन्दर रखकर काले रंग के बैग पर भी सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्डमोहर कर

मार्क -बी- अंकित कर , थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय के पास मिले पीले रंग का लिफाफा जिसके अन्दर प्रर्वतन निदेषालय चंडीगढ में श्री अतुल गुप्ता सहायक निदेषक द्वारा अभिरक्षा में चल रहे श्री नवाब हसन पुत्र श्री नुरदीन के धारा 50 धनषोधन निवारण अधिनियम 2002 में लिये गये कथन दिनांक 26.09.2025, लिफाफे के अन्दर एक काले रंग की डायरी जिस पर प्रर्वतन निदेषालय का लॉगो तथा आरोपी का नाम अंग्रेजी भाषा में उत्तम कुमार पाण्डेय लिखा हुआ है, जिसके अन्दर कुछ पेजों पर आरोपी द्वारा किये हुये व अन्य टीए सम्बंधित दिनांक लिखी हुई है तथा अस्थाई डूयूटी अनुमोदन के दो प्रपत्र भी मिलें है। इसके अलावा एक पारदर्षी प्लास्टिक का फोल्डर जिसके अन्दर श्री अतुल गुप्ता सहायक निदेषक द्वारा जॉईन्ट सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफिस एण्ड कोर्ट कॉम्पलेक्स, जिराकपुर को जारी मूल पत्र दिनांक 18.02.2026 अस्थाई डूयूटी अनुमोदन के खाली प्रपत्र, आरोपी को आवंटित प्लॉट की सूची तथा पिता श्री जगदम्बा प्रसाद की उपचार पर्ची, सीबीआई के दो आईडी कार्ड, ईडी का एक आईडी कार्ड मिलें है। उक्त दस्तावेजात प्रर्वतन निदेषालय की कार्यवाही से सम्बंधित संदिग्ध दस्तावेज है। अतः अनुसंधान के प्रयोजनार्थ बतौर साक्ष्य होने से गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। विडियोंग्राफी की जा रही थी इसी दौरान कैमरे की बैट्री लॉ होने से बंद हो गया, जिसे चार्ज करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर सुना गया तो उसमें रिष्वत लेन देन सम्बंधी वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन निदेषालय चडीगढ में सकील मोहम्मद/क्यूएफएक्स कम्पनी के मामले के जांच अधिकारी, सहायक निदेषक प्रवर्तन निदेषालय, चडीगढ, श्री अतुल गुप्ता के मोबाईल नम्बर पर आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय के मोबाईल नम्बर से कॉल कर वार्ता करवाई गई तो श्री अतुल गुप्ता द्वारा उक्त मामले ECIR/CD ZO-1/2/2024 की जांच उनके द्वारा करना बताया।चुकि हॉटल अषोका में आगन्तुको के आने जाने से उक्त कार्यवाही सुचारू रूप से करने में व्यवधान हो रहा है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, हमराहीयान, जप्त आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स, उपरकरण आदि मय सरकारी वाहन बस, श्री बलराम यादव, श्री संजय कुमार मय किराये की कैब नम्बर PB 01F 2109 के अग्रिम कार्यवाही हेतु हॉटल अषोका से रवाना होकर पुलिस चौकी कल्याण सर्किल, सीकर पहुंचे, जहां पर कार नम्बर PB 01F 2109 को चौकी परिसर के सामने ही सुरक्षार्थ खडी करवाई जाकर कैब को बंद की जाकर कैब की चाबी प्राप्त की गई। चौकी के श्री विधाधर एएसआई को परिचय देकर कार्यवाही के सम्बंध अवगत कराया जाकर कार्यवाही के लिये चौकी से एक कक्ष के लिये कहा जाने पर उनके द्वारा एक अनुसंधान कक्ष उपलब्ध करवाया गया। जिसमें कार्यवाही शुरू की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय द्वारा यात्रा के दौरान प्रयोग में लिये गये वाहन PB 01F 2109 की तलाषी, वाहन के चालक श्री संजय कुमार तथा विंग्स बॉयोटेक एलएलपी के बदी प्लांट मैनेजर श्री बलराम यादव जो कि आरोपी के सहयात्री है के समक्ष उक्त कार की तलाषी ली गई तो वाहन के डेष बोर्ड 1,90,000 रूपये की नगद राषि मिली है, जिसके बारे में आरोपी से पूछताछ की गई तो वह कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। यह राषि संदिग्ध प्रकट होने से स्वतंत्र साक्षीगण तथा वाहन चालक श्री संजय कुमार तथा सहयात्री श्री बलराम यादव के समक्ष नियमानुसार जब्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। जिसकी फर्द जप्ती संदिग्ध राषि 1,90,000 रूपये पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। वाहन तलाषी सम्बन्धित कार्यवाही की विडियांे ग्राफी कानि श्री विरेन्द्र कुमार से करवाई गई। तत्पष्चात् परिवादी श्री रमीज राजा की निषादेही से साक्षीगण के समक्ष प्रकरण घटनास्थल हॉटल अषोका का मानचित्र मुर्तिब किया गया। प्रकरण में की गई कार्यवाही से आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय, जन्म तिथि 01.03.1976 निवासी-ग्राम सधई पाण्डेय का पुरा, पोस्ट बबुवापुर पुलिस थाना महाराज गंज, तहसील व जिला अयोध्या (उत्तर प्रदेष) हाल सीनियर सिपाही CD ZO-1 कार्यालय सहायक निदेषक प्रवर्तन निदेषालय, चंडीगढ, मूल पदस्थापन हैड कानि. CRPF BT.92 सीजीओ कॉमप्लेक्स नई दिल्ली के द्वारा परिवादी श्री रमीज राजा द्वारा QFX Prt. Ltd. Company में निवेष किये जाने तथा उक्त कम्पनी के Abscond होने पर कम्पनी के विरूद्ध Enforcement Department E.D. Chandigarh में चल रही जांच में परिवादी श्री रमीज राजा को अभियुक्त नहीं बनाने की एवज में परिवादी श्री रमीज राजा से दिनांक 06.01.2026, 15.01.2026, 20.01.2026, 03.02.2026, 26.02.2026 एवं 27.02.2026 को जरिये मोबाईल नम्बर से स्वयं एवं उच्च अधिकारी के लिये 20 लाख रूपये की रिष्वत की मांग कर आज दिनांक 28.02.2026 को परिवादी से 13 लाख रूपये (2 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा तथा 11 लाख रूप्ये डमी राषि) की रिष्वत राषि से भरा काले रंग का बैग अपने दोनांे हाथो से प्राप्त करना एवं रिष्वत राषि का बरामद होना, आरोपी के दांहिने एवं बांये हाथ की अगुलियों एवं अगुठे के धोवन का रंग गुलाबी होना पाया जाना अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी की सूचना जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर से आरोपी के पुत्र श्री अभिषेक पाण्डेय के मोबाईल नम्बर दी गई।

कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री उत्तम कुमार की जामातलाषी में दो मोबाईल फोन One Plus Nord 4 एवं OPPO Reno3 Pro 4G मिले, उक्त दोनो मोबाईल फोन में प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित संदिग्ध वार्तालाप लॉग एवं चैट मिले है, जिनके स्क्रीनषॉट प्राप्त किये गये और दोनो मोबाईल फोन को नियमानुसार जरिये फर्द जप्त किया गया। कार्यवाही से

सम्बन्धित घटनाक्रम की वीडियोग्राफी श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. से करवाई गई थी, उक्त वीडियोग्राफी से सम्बन्धित 5 वीडियो क्लिप जो कि मेमोरी कार्ड में संरक्षित है, उक्त मेमोरी कार्ड को नियमानुसार जप्त किया जाकर मार्क का अंकित कर हैस वैल्यू निकाली जाकर पृथक से फर्द तैयार की गई। पूर्व में दिनांक 27.02.2026 को ब्यूरो मुख्यालय जयपुर पर उपस्थित परिवादी श्री रमीज राजा के मोबाईल नम्बर से स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कराई जाकर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्पीकर ऑन कर तीन रिष्वत मांग सत्यापन वार्ताऐ रिकॉर्ड की गई थी तथा दिनांक 28.02.2026 को सीकर पहुंचकर परिवादी के उक्त मोबाईल नम्बर पर आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय के उक्त मोबाईल नम्बर से हुई दो वाट्सअप कॉल वार्ताओ एवं रिष्वत लेन देन सम्बंधी परिवादी एवं आरोपी की अषोका हॉटल में हुई आमने सामने की एक वार्ता की डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। अतः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में कुल छ रिकॉर्डेड वार्ताओ को सुना जाकर गवाहान के समक्ष वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया। उक्त रिकार्ड वार्ताओ की वाईस क्लिप को बारी-बारी तीन अलग-अलग पैन ड्राईव मे कापी की गई। वॉईस क्लिप पैन ड्राईव में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर पैन ड्राईव पर क्रमषः मार्का A, A-1 व A-2 अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का A,A-1 पैन ड्राईव को दो पृथक पृथक सफेद कपडे़ की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर क्रमषः मार्का ।A,A-1 अंकित किये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मार्का A-2 पैन ड्राईव को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड Daichi 32GB जिनमें उक्त 06 वार्तायें रिकार्ड है को एक प्लास्टीक छोटी पारदर्षी की खाली डिब्बी में रखकर, प्लास्टीक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रख कर मार्का MA अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट/वार्ता रूपान्तरण तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय की परिवादी श्री रमीज राजा से हुई रिष्वत मांग सत्यापन एवं रिष्वत लेनदेन से सम्बन्धित रिकॉर्ड की गई वार्ताओं की आवाज से मिलान करवाये जाने हेतु वॉईस सैम्पल दिये जाने हेतु आरोपी को कहा गया तो उनके द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपनी आवाज का नमूना दिये जाने से इंकार किया गया, जिसकी फर्द स्वतंत्र गवाहान के समक्ष तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री रमीज राजा एवं आरोपी के मध्य विगत 02 माह में दिनांक 06.01.2026, 15.01.2026, 20.01.2026, 03.02.2026, 26.02.2026 को परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल वार्ताऐं हुई है, जिसकी विडियों रिकॉर्डिग आईन्दा परिवादी से प्राप्त की जाकर वार्ता रूपान्तरण की कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को अपने मोबाईल में सेव उक्त वार्ताओ को आईन्दा प्रस्तुत करने की आवष्यक हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय, जन्म तिथि 01.03.1976 निवासी-ग्राम सधई पाण्डेय का पुरा, पोस्ट बबुवापुर पुलिस थाना महाराज गंज, तहसील व जिला अयोध्या (उत्तर प्रदेष) हाल सीनियर सिपाही CD ZO-1 कार्यालय सहायक निदेषक प्रवर्तन निदेषालय, चंडीगढ, मूल पदस्थापन हैड कानि. CRPF BT.92 सीजीओ कॉमप्लेक्स नई दिल्ली के द्वारा परिवादी श्री रमीज राजा द्वारा QFX Prt. Ltd. Company में निवेष किये जाने तथा उक्त कम्पनी के Abscond होने पर कम्पनी के विरूद्ध Enforcement Department E.D. Chandigarh में चल रही जांच नम्बर ECIR/CD ZO-1/2/2024 में परिवादी श्री रमीज राजा को अभियुक्त नहीं बनाने की एवज में परिवादी श्री रमीज राजा से दिनांक 06.01.2026, 15.01.2026, 20.01.2026, 03.02.2026, 26.02.2026 एवं 27.02.2026 को जरिये मोबाईल नम्बर से स्वयं एवं अन्य अधिकारी के लिये 20 लाख रूपये की रिष्वत की मांग कर दो लाख रूपये पूर्व में प्राप्त कर दिनांक 28.02.2026 को परिवादी से 13 लाख रूपये (2 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा तथा 11 लाख रूप्ये डमी राषि) की रिष्वत राषि से भरा काले रंग का बैग अपने दोनांे हाथो से प्राप्त करना एवं रिष्वत राषि का बरामद होना, आरोपी के दांहिने एवं बांये हाथ की अगुलियों एवं अगुठे के धोवन का रंग गुलाबी होना पाया जाना अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय, जन्म तिथि 01.03.1976 निवासी-ग्राम सधई पाण्डेय का पुरा, पोस्ट बबुवापुर पुलिस थाना महाराज गंज, तहसील व जिला अयोध्या (उत्तर प्रदेष) हाल सीनियर सिपाही CD ZO-1 कार्यालय सहायक निदेषक प्रवर्तन निदेषालय, चंडीगढ, मूल पदस्थापन हैड कानि. CRPF BT.92 सीजीओ कॉमप्लेक्स नई दिल्ली के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संषोधन) अधिनियम 2018 में प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय हाल सीनियर सिपाही CD ZO-1 कार्यालय सहायक निदेषक प्रवर्तन निदेषालय, चंडीगढ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में पेश है। (विजय सिंह) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस. यू. द्वितीय, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री उत्तम पाण्डेय पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय, जन्म तिथि 01.03.1976 निवासी-ग्राम सधई पाण्डेय का पुरा, पोस्ट बबुवापुर पुलिस थाना महाराज गंज, तहसील व जिला अयोध्या (उत्तर प्रदेश) हाल सीनियर सिपाही CD ZO-1 कार्यालय सहायक निदेशक

प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ, मूल पदस्थापन हैड कानि. CRPF BT.92 सीजीओ कॉमप्लेक्स नई दिल्ली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री संदीप सारस्वत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू. को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 431 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 423-26 दिनांक 02.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर 2- कमाण्डेंट, 92 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिला बारामुला, (जम्मु व कश्मीर) 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर रेंज 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Sandeep Saraswat **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/03/2026 19:39:02

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)